

30/5/19

पकुला टै-फरकित आखिर। प्रथम पत्र 7.1 के साथ
पेश मूल वाद पर डिग्री एवं खाई निषेधाज्ञा जारी की
जा चुकी है। इसलिये प्रथम पत्र उभाव शून्य हो
गया है। अतः कार्यवाही प्रथम पत्र ड्रॉप की जाती है।
असल इसलिये नम्बर से कम हो/दफ्तर बन्दिल है।



(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

